विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक –2408 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट स.प्रप.–1

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2018 प्रश्नकर्ता :– श्री सतीश मालवीय

स्वास्थ्य केन्द्रवार पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी।

जिला	पोषण पुनर्वास केन्द्र	भर्ती बच्चे
उज्जैन	माधवनगर जिला चिकित्सालय	277
	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घटिया	155
	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तराना	143
	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्गोरिया	137
	सिविल अस्पताल, महिदपुर	132
	सिविल अस्पताल, खाचरोद	91
	सिविल अस्पताल, नागदा	121
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हेल	115

उप संचालक (का.प्र.)
म.प्र.

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक –2408 के प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट–2

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2018 प्रश्नकर्ता :– श्री सतीश मालवीय

कुपोषण नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी

- सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषण आहार, आई.एफ.ए. की गोलियॉ एवं पोषण संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।
- स्तनपान संबंधी व्यवहारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता के प्रयास किये जा रहे है। स्तनपान संबंधी व्यवहारों को बढावा देने हेतु मॉ कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा जन्म से 1 घण्टे के अन्दर स्तनपान एवं 6 माह तक केवल स्तनपान कराने संबंधी परामर्श दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष माह अगस्त में स्तनपान व्यवहारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता हेतु "विश्व स्तनपान सप्ताह" समुचे प्रदेश में मनाया जाता है। साथ ही दस्तक अभियान के माध्यम से भी शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार (टेक होम राशन) तथा 3 से 5 वर्षीय बच्चों को गर्म पका भोजन (पूरक पोषण आहार) प्रदाय किया जा रहा है।
- कुपोषण नियन्त्रण हेतु आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर स्नेह शिविरों का आयोजन कर बच्चों की माताओं को परामर्श दिया जाकर, चिन्हांकित अतिकम वजन बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती कराया जाता है। साथ ही कुपोषित बच्चों को थर्ड मील का प्रदाय एवं संबंधित आंगनवाडी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी द्वारा गृह भेंट के माध्यम से पोषण एवं स्वच्छता संबंधी परामर्श देकर उनकी आदतो में सकारात्मक परिवर्तन लाकर बच्चें के स्वास्थ्य सुधार के सतत् प्रयास किये जा रहे है।
- "घर पर नवजात की देखभाल" रणनीति के अन्तर्गत नवजात बच्चों की मौतों की रोकथाम हेतु प्रयास किये जा रहे है। आशा कार्यकर्ताओं को "घर पर नवजात की देखभाल" विषय पर प्रशिक्षण दिया जाकर गृह भेंट के माध्यम से इस व्यवहार का सामुदायिक स्तर पर पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
- जिला उज्जैन में बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु 1 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील हैं।
- जिले के उप जिला स्तरीय सीमॉक संस्थाओं महिदपुर एवं नागदा में कम वज़न एवं बीमार नवजात शिशुओं के उपचार हेतु 2 एन.बी.एस.यू. (न्यूबॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट्स) की क्रियाशील की गई है।
- उज्जैन के 27 चिन्हांकित प्रसव केन्द्रों के विरूद्ध 27 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित किये गये हैं। इन इकाईयों के माध्यम से समस्त नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल प्रदाय की जाती है तथा आवश्यक होने पर नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रक्रिया द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की जाती है।
- 28 दिवस से अधिक आयु के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु 1 पी.आई.सी.यू. स्थापित किये गये है।
- नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू.) में कार्यरत चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्सों को संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल में कौशल वृद्धि हेतु सतत् प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश में शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्थाओं में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर एवं स्टॉफ नर्सों को एफ.आई.एम.एन.सी. आई. प्रशिक्षण दिया गया।
- नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रक्रिया में दक्षता हेतु प्रसव केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरा–मेडिकल स्टॉफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया गया।
- आई.डी.सी.एफ :– प्रत्येक वर्ष माह जुलाई–अगस्त में सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त 5 वर्ष से छोटे बच्चों के परिवारों को दस्त प्रकरणों के बचाव हेतु ओ.आर.एस पैकट एवं जिंक की गोलियां प्रदाय की जाती है।
- बाल शक्ति योजना :– उज्जैन में 8 पोषण पुनर्वास केन्द्र यथा जिला चिकित्सालय, घटिया, तराना, नागदा, इन्गोरिया, महिदपुर, खाचरौद तथा उन्हेल में क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त आर.डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय में गंभीर कुपोषण उपचार ईकाई संचालित है।

उप संचालक (का.प्र.)
एन.एच.एम. म.प्र.

- नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम :– जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्याम से क्रमशः 6 माह से 60 माह एवं 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु आयरन फोलिक एसिड सीरप एवं आयरन फोलिक एसिड गोलियों की उम्र आधारित खुराक दी जाती है।
- नेशनल डीवर्मिंग डे :– के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्षीय सभी बच्चों को वर्ष में 1 बार एल्बेण्डाजोल गोली खिलाई जाती है, ताकि कृमि संक्रमण जनित रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सके।
- आई.वाय.सी.एफ. प्रशिक्षण :– मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे–आशा एवं ए.एन.एम. को समुचित शिशु एवं बाल आहार संबंधी व्यवहार पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि स्तनपान संबंधी सामुदायिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाई जा सके।
- दस्तक अभियान :– प्रदेश में बाल मृत्युदर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की सामुदायिक विस्तार हेतु वर्ष दस्तक अभियान की अवधारणा की गई है, जिसमें 5 वर्ष से छोटे बच्चों तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की समुदाय के प्रत्येक घर तक विस्तार हेतु एक गृहभेंट आधारित कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। दस्तक अभियान का संचालन प्रतिवर्ष 2 बार दस्त रोग बाहुल्य माह (जून–जुलाई) तथा निमोनिया बाहुल्य माह (दिसंबर–जनवरी) में आयोजित की जाती है। दस्तक दल द्वारा अभियान के दौरान गंभीर कुपोषण, गंभीर बीमार, गंभीर एनीमिया, दस्त एवं निमोनिया से ग्रस्त बच्चों की सक्रिय पहचान की जाती है एवं साथ ही शिशु एवं बाल आहारपूर्ति व्यवहारों को बढ़ावा, हाथ धुलाई एवं ओ.आर.एस. बनाने की विधि का प्रदर्शन तथा कम वज़न बच्चों की उचित देखभाल हेतु कंगारू मदर केयर पद्धति की सामुदायिक समझाईश दी जाती है।

उप संचालक (का.प्र.)
एन.एच.एम. म.प्र.